भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 584

03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-किसान कल्याण योजनाओं की प्रगति

584. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में अंतरित की गई कुल धनराशि कितनी है;

(ख) दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उन किसानों की संख्या कितनी है जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय सुरक्षा प्रदान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए नए 'कृषि विज्ञान केंद्रों' की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका शुभारंभ फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं पूरा करने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में 6,000/- रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमि का होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ अपवर्जनों के अधीन हैं।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों को बिना किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के प्राप्त हो। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना के आरंभ से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है। योजना की शुरुआत के बाद से गुजरात के दाहोद निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जिलों के लाभार्थियों को जारी की गई राशि निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	**जिले का नाम**	**जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)**
1	दाहोद	1,238.60
2	महिसागर	660.73

(ख): देश में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)' खरीफ 2016 सीजन से प्रारंभ की गई थी। पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्र के लिए बुवाई पूर्व से लेकर फसलोपरांत फसल हानि के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करता है। यह योजना न केवल गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों/और बाढ़, जलप्लावन आदि जैसी गंभीर जलवायु आपदाओं के कारण व्यापक प्रसार उपज हानि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि स्थानीय जोखिमों (जलप्लावन, बादल फटने आदि सहित) और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के कारण फसलोपरांत हानि और स्थगित बुआई के कारण कृषि स्तर पर उपज हानि के लिए भी सहायता प्रदान करती है। यह योजना राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। सभी इच्छुक किसान इस योजना के तहत नामांकन करने के पात्र हैं। तथापि, गुजरात राज्य वर्तमान में इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

विभाग नियमित रूप से सभी स्टेकहोल्डर्स की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, वन-टू-वन बैठकों के साथ-साथ गैर-कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन आयोजित कर रहा है ताकि कार्यान्वयन न करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमएफबीवाई को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हाल ही में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने योजना में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-कार्यान्वयन राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को अर्ध-शासकीय पत्र भी लिखे हैं।

(ग): कृषि विज्ञान केंद्र दाहोद की स्थापना इसके अनुप्रयोग और क्षमता विकास के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और डेमॉन्स्ट्रेशन के अधिदेश के साथ की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) की गतिविधियों में विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत प्रौद्योगिकी की स्थान विशिष्टता की पहचान करने के लिए ऑन-फार्म परीक्षण; किसानों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए फ्रंटलाइन डेमॉन्स्ट्रेशन; ज्ञान और कौशल उन्नयन के लिए किसानों की क्षमता विकास; और किसानों को उपलब्धता के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों, रोपण सामग्री और अन्य प्रौद्योगिकी आदानों का उत्पादन शामिल है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा बड़ी संख्या में विस्तार कार्यकलाप शुरू किए जाते हैं। केवीके के कार्यकलाप किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है।

विगत पांच वर्षों के दौरान, केवीके ने उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों पर 3,150 डेमॉन्स्ट्रेशन का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, केवीके ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 21,649 किसानों/कृषि महिलाओं/ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया और विभिन्न विस्तार गतिविधियों के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर 2.62 लाख स्टेकहोल्डर्स के बीच जागरूकता सृजित की। उन्नत फसल किस्मों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, केवीके ने फील्ड क्रॉप्स के 504.65 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीज और बागवानी फसलों की 2.20 लाख रोपण सामग्री का उत्पादन किया।

*****